

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधिसूचना

अधि०सं०-भवन/स्था०-०२-विविध-९५८/२०१५.....पटना, दिनांक.....

भवन निर्माण विभाग में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, २०१५ (बिहार अधिनियम-१९, २०१५) के क्रियान्वयन हेतु अधिनियम की धारा-३ के तहत सामान्य प्रशासन विभागीय अधि०सं०-७६९१ दिनांक-३०.०५.२०१६ के आलोक में श्री ब्रजनन्दन प्रसाद, अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग को भवन निर्माण विभाग का प्रथम अपीलीय प्राधिकार अधिसूचित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(अमृत लाल मीणा)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना/अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/अपर निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना एवं सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:-

1346 (अ)

पटना, दिनांक- 14.2.17

प्रतिलिपि:- माननीय उप मुख्यमंत्री (विभागीय मंत्री) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/सभी मुख्य अभियंता/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

13/2/17